

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

आदेश

सं०-वि० प्रा०(I) आ०-०१/२०१७-

१०४ /पटना, दिनांक:- २९-५-२०१९

डॉ० अचिन्त्य बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा तत्कालीन प्राचार्य, सीतामढ़ी अभियंत्रण महाविद्यालय, सीतामढ़ी के विरुद्ध घोर अनुशासनहीनता, माननीय उच्च न्यायालय पटना के निदेशों का अनुपालन बाधित किए जाने के कतिपय आरोप में विभागीय संकल्प सं०-२६०१ दिनांक-३०.१०.२०१७ द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय पत्रांक-२६९९ दिनांक १६.११.२०१७ द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली २००५ के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी।

२. विभागीय जॉच संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक-३२७९ दिनांक-०२.०८.२०१८ द्वारा डॉ० अचिन्त्य के विरुद्ध कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-२२०२ दिनांक-२०.०८.२०१८ द्वारा डॉ० अचिन्त्य से लिखित (द्वितीय कारण पृच्छा) की मांग की गयी। डॉ० अचिन्त्य द्वारा अपना लिखित अभिकथन दिनांक-०५.०९.२०१८ को समर्पित किया गया तथा दिनांक-१८.१२.२०१८ को एक पूरक लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया।

३. आरोपित पदाधिकारी डॉ० अचिन्त्य के विरुद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन तथा आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन (द्वितीय कारण-पृच्छा) की समीक्षा में डॉ० अचिन्त्य द्वारा अपने पुत्र को भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर, में अपने कार्यकाल में अतिथि अनुदेशक के रूप में नियोजित करने का कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के अनुरूप न पाते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली २००५ के नियम-१४ के प्रावधान के अधीन डॉ० अचिन्त्य को "निन्दन" का दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गया जो इनके वर्ष २०१४-२०१५ की चारित्री में अंकित किया जाएगा।

४. उपरोक्त के आलोक में डॉ० अचिन्त्य को "निन्दन" का दण्ड उनकी वर्ष २०१४-२०१५ की चारित्री में अंकित किया जाए। डॉ० अचिन्त्य को "निन्दन" का दण्ड देते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बन से मुक्त करते हुए, प्राचार्य, दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। डॉ० अचिन्त्य को निलम्बन अवधि में बिताई गई अवधि का वेतन देय होगा।

  
२९.५.१९

सरकार के संयुक्त सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।

2.

ज्ञापांक-वि० प्रा०(I) आ०-०१/२०१७-

१५११ /पटना, दिनांक:- २९-५-२०१९

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

 २९.५.१९

सरकार के संयुक्त सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-वि० प्रा०(I) आ०-०१/२०१७-

१५११ /पटना, दिनांक:- २९-५-२०१९

प्रतिलिपि- निदेशक/प्राचार्य/ प्रभारी प्राचार्य, सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/  
राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/सचिव, राज्य  
प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद,/सभी विभागीय पदाधिकारी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग /कोषागार  
पदाधिकारी, जिला कोषागार, दरभंगा/ उप कोषागार, बाढ़/ आई०टी० मैनेजर (अपलोड हेतु)  
एवं संबंधित प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

 २९.५.१९

सरकार के संयुक्त सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-वि० प्रा०(I) आ०-०१/२०१७-

१५११ /पटना, दिनांक:- २९-५-२०१९

प्रतिलिपि - माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त  
सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

 २९.५.१९

सरकार के संयुक्त सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।